

डिकी व मुकदमे इत्दाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)
व इजलास श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)

1. तारा आयु 50 पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी कमरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला
गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी सेखीपुर सागरपाडा धौलपुर जिला धौलपुर

बनाम

1. अहमद खाँ उर्फ छीतर
 2. हबीबुल्लाह
 3. नसरुल्लाह
 4. रहीसा पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी जमालपुरा गुमट
कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
 5. अब्दुल अजीज खाँ पुत्र अब्दुल समद खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला रोढ गुमट
कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर (दौराने दावा फौत)
 - 5/1 आशा } पुत्रीगण अब्दुल अजीज खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला
5/2 जुलेका } गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
 - 5/3 मुबारिक
 - 5/4 असरफ
 - 5/5 अजमत
 - 5/6 कादर
 - 5/7 इरफान
 - 5/8 करीम खान }
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तह0 बाडी
दावा दावत

मुकदमा नं. 01/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं

व हाजरी श्री पवन गौड एड0 मिनजानिव मुद्दई श्री रवि पचौरी एड0

मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादीया पूर्व में जारी की गई प्राथमिक डिकी दिनांक 05.08.2024 के अनुसार अन्तिम डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी में अंकित आराजी ख0नं0 708 रकवा 1 बीधा 18 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 1 तह0 बाडी में अंकित पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादीया हिस्सा 1/16, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/16 एवं प्रति0 सं0 5/1 लगा0 5/8 हिस्सा 1/2 के इन्द्राज दर्ज किये जावें।

नीज मुबलिग..... बाबतखर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।

वसूखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 06 साल 2025 को जारी की गई।



दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी
बाडी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवान

तारा

बनाम

अहमद खाँ

1. तारा आयु 50 पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी कमरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी सेखीपुर सागरपाडा धौलपुर जिला धौलपुर वादीया :-

बनाम

1. अहमद खाँ उर्फ छीतर
2. हबीबुल्लाह
3. नसरुल्लाह
4. रहीसा पुत्री अय्यूब खाँ पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी जमालपुरा गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
- } पुत्रगण अय्यूब खाँ जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला रोढ गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण :-

5. अब्दुल अजीज खाँ पुत्र अब्दुल समद खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला रोढ गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर (दौराने दावा फौत)
- 5/1 आशा } पुत्रीगण अब्दुल अजीज खाँ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला
5/2 जुलेका } गुमट कस्वा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
5/3 मुबारिक
5/4 असरफ
5/5 अजमत
5/6 कादर
5/7 इरफान
5/8 करीम खान }
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तह0 बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादीया के वकील – श्री पवन गौड एड0

प्रतिवादीगण के वकील – श्री रवि पचौरी एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 01/2020

दिनांक :- 13.06.2025

निर्णय

दावा वादीया दिनांक 05.08.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 708 रकबा 1 बीधा 18 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 1 तह0 बाडी

2024
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.

में वादीया हिस्सा 1/16, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/16 एवं प्रति0 सं0 5/1 लगा0 5/8 हिस्सा 1/2 के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तत्पश्चात उभयपक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण वर्तमान में विशेष रेल परियोजना के लिए धौलपुर-सरमथुरा छोटी रेलवे लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन के लिए अवाप्त की जा चुकी है तथा उक्त विवादित आराजी में अब कोई भी हिस्सा शेष नहीं रहा है। उक्त आराजी का बंटवारा होना व कुरे बनाया जाना संभव नहीं रहा है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादीया एवं प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की अवाप्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिकी को ही अन्तिम डिकी माना जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रेल परियोजना के लिए धौलपुर-सरमथुरा छोटी रेलवे लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन हेतु जारी गजट नोटीफिकेशन सं0 109 दिनांक 06.01.2025 में क्रम संख्या 49 पर प्रश्नगत आराजी अंकित है। जिसमें प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण को अवाप्त किया गया है। अवाप्ति के पश्चात प्रश्नगत आराजी का कोई भी अंश शेष नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीया पूर्व में जारी की गई प्राथमिक डिकी दिनांक 05.08.2024 के अनुसार अन्तिम डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी में अंकित आराजी ख0नं0 708 रकवा 1 बीधा 18 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 1 तह0 बाडी में अंकित पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादीया हिस्सा 1/16, प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 2 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/8, प्रति0 सं0 4 हिस्सा 1/16 एवं प्रति0 सं0 5/1 लगा0 5/8 हिस्सा 1/2 के इन्द्राज दर्ज किये जावें। निर्णय अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड न्यायाधीश
बाडी
बाडी (धौलपुर) राज.